रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 562] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2006/कार्तिक 26, 1928
No. 562] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2006/KARTIKA 26, 1928

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2006

सा.का.नि. 715(अ).—केन्द्रीय सरकार, सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि विरूद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 (2005 का 21) की धारा 26 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली, सलाहकार समिति की नियुक्ति और उनकी शक्तियां एवं कर्त्तव्य नियम 2006 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) " अधिनियम " से सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली विधि विरूद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध अधिनियम 2005, अभिप्रेत है;

(ख) " सलाहकार समिति " से नियम 3 के अधीन नियुक्त सलाहकार समिति, अभिप्रेत है;

(ग) " सदस्य " से सलाहकार समिति का सदस्य अभिप्रेत है जिसमें उसका अध्यक्ष, सम्मिलित है;

(घ) "धारा " से अधिनियम की धारा, अभिप्रेत है;

(ङ) " अधिसूचना " से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

(च) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. सलाहकार समितियों की नियुक्ति :- केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित सलाहकार समितियां नियुक्त करेगी, अर्थात् :-

(i) सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली पर सलाहकार समिति ;

(ii) नामिकीय एवं नाभिकीय से संबंधित मदों पर सलाहकार समिति ;

(iii) रासायनिक आयुधों और उससे संबंधित मदों पर सलाहकार समिति ;

(iv) जैविक आयुधों और उससे संबंधित मदों पर सलाहकार समिति ;

(v) दोहरे उपयोग की वस्तुओं के निर्यात पर नियंत्रण पर सलाहकार समिति ;

4. सामूहिक संहार के आयुधों और उनकी परिदान प्रणाली पर सलाहकार समिति की संरचना - (1) सामूहिक संहार के आयुधों और उनकी परिदान प्रणाली पर सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) विदेश मंत्रालय में अपर सचिव - पदेन अध्यक्ष ;

(ख) विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव -(निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामले)-पदेन सदस्य;

(ग) वैज्ञानिक सचिव, अंतरिक्ष विभाग - पदेन सदस्य ;

(घ) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक आयुध अभिसमय-पदेन सदस्य ;

(ङ) मुख्य नियंत्रक अनुसंधान एवं विकास (सेवा अंतःक्रिया) एवं गणमान्य वैज्ञानिक, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय- पदेन सदस्य ;

(च) संयुक्त सचिव (सीमा शुल्क), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय - पदेन सदस्य;

(छ) अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, वित्त मंत्रालय - पदेन सदस्य;

(ज) संयुक्त सचिव, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय पदेन सदस्य ;

(झ) संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन -I) गृह मंत्रालय - पदेन सदस्य ;

(प) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय - पदेन सदस्य ;

(ट) निदेशक (परिसंकटमय पदार्थ प्रबंधन प्रभाग,) पर्यावरण एवं बन मंत्रालय - पदेन सदस्य ;

(ठ) वैज्ञानिक अधिकारी, परमाणु ऊर्जा विभाग - पदेन सदस्य ;

(ड) अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार; विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय - पदेन सदस्य ;

(ढ) निदेशक, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय - पदेन सदस्य ;

(ण) निदेशक (नाभिकीय जैविक रसायन), मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय में एकीकृत रक्षा स्टाफ - पदेन सदस्य ;

(त) निदेशक (निरस्त्रीकरण एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामले) विदेश मंत्रालयव-पदेन सदस्य ;

(2) सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक अधिसूचना द्वारा की जाएगी ।

5. परमाणु और परमाणु संबंधी मदों पर सलाहकार समिति की संरचना - (1) परमाणु और परमाणु संबंधी मदों पर सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) निदेशक, मैट्रिक आयोजना दल, ऊजा विभाग - पदेन अध्यक्ष ;

(ख) सहायक वैज्ञानिक सचिव, अंतरिक्ष विभाग - पदेन सदस्य ;

(ग) संयुक्त निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, वित्त मंत्रालय - पदेन सदस्य ;

(घ) ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी (अंतरराष्ट्रिय सीमा शुल्क प्रभाग) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय - पदेन सदस्य ;

(ङ) संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय - पदेन सदस्य ;

(च) निदेशक (अंतरराष्ट्रीय सहयोग), रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय - पदेन सदस्य ;

(छ) निदेशक (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन - II), गृह मंत्रालय - पदेन सदस्य ;

(ज) निदेशक (निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामले), विदेश मत्रालयव-पदेन ;

(झ) निदेशक, सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय - पदेन सदस्य ;

(ञ) वैज्ञानिक अधिकारी, परमाणु ऊर्जा विभाग - पदेन सदस्य सचिव ;

(2) सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्त एक अधिसूचना द्वारा की जाएगी ।

6. रासायनिक आयुधों और संबंधित मदों पर सलाहकार समिति की संरचना - (1) रासायनिक आयुधों और संबंधित मदों पर सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) संयुक्त सचिव, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय - पदेन अध्यक्ष ;

(ख) संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक आयुध अभिसमय - पदेन सदस्य ;

(ग) वैज्ञानिक/इंजीनियर, अंतरिक्ष विभाग - पदेन सदस्य ;

(घ) निदेशक, केंद्रीय राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय - पदेन सदस्य ;

(ङ) ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी (अंतरराष्ट्रीय सीमाशुल्क प्रभाग), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय - पदेन सदस्य ;

(च) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सलाहकार - पदेन सदस्य ;

(छ) निदेशक (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन - II), गृह मंत्रालय - पदेन सदस्य ;

(ज) संयुक्त म[illegible]निदेशक, विदेश व्यापार, विदेश व्यापार महानिदेशालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय - पदेन सदस्य ;

(झ) वैज्ञानि[illegible] '[illegible]ी', रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय - पदेन सदस्य ;

(ञ) निदेशक, सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय - पदेन सदस्य ;

(ट) संयुक्त सचिव, राजस्व आसूचना वित्त मंत्रालय - पदेन सदस्य ;

(ठ) उप सचिव, (निरस्त्रीकरण एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामले), विदेश मंत्रालय - पदेन सदस्य ;

(ड) निदेशक (रासायनिक आयुध अभिसमय), रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय - पदेन सदस्य सचिव;

(2) सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक अधिसूचना के द्वारा की जाएगी ।

7. जैविक आयुधों और संबंधित मदों पर सलाहकार समिति का की संरचना-(1)जैविक आयुधों और संबंधित मदों पर सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क)	निदेशक, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	पदेन अध्यक्ष;
(ख)	निदेशक (परिसंकटमय पदार्थ प्रबंधन प्रभाग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ग)	निदेशक, राजस्व विभाग में केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, वित्त मंत्रालय,	पदेन सदस्य;
(घ)	ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी (अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क प्रभाग) राजस्व, विभाग, वित्त मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ङ)	निदेशक, रसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(च)	निदेशक(राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन-II), गृह मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(छ)	विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ज)	वैज्ञानिक 'जी' रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(झ)	निदेशक, सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ञ)	संयुक्त निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, वित्त मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ट)	उप सचिव(निःशस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामले) विदेश मंत्रालय	पदेन सदस्य सचिव;

(2) सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक अधिसूचना के द्वारा की जाएगी ।

8. दोहरे उपयोग की मदों के निर्यात नियंत्रण पर सलाहकार समिति की संरचना -(1) दोहरे उपयोग की मदों के निर्यात नियंत्रण पर सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्

(क)	विदेश व्यापार अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	पदेन अध्यक्ष;
(ख)	संयुक्त निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, वित्त मंत्रालय,	पदेन सदस्य;
(ग)	ज्येष्ठ.तकनीकी अधिकारी (अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क प्रभाग) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(घ)	निदेशक, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ङ)	निदेशक, रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(च)	संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय प्राधिकारी, रासायनिक आयुध अभिसमय	पदेन सदस्य;
(छ)	कार्यक्रम निदेशक, अंतरिक्ष विभाग	पदेन सदस्य;
(ज)	निदेशक(राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन-II), गृह मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(झ)	वैज्ञानिक अधिकारी, परमाणु ऊर्जा विभाग	पदेन सदस्य;

(ञ)	निदेशक(अंतरराष्ट्रीय सहयोग) रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ट)	निदेशक (भारत अर्थ मूवर्स लि0 एवं निर्यात संवर्द्धन) रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय,	पदेन सदस्य;
(ठ)	संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय	पदेन सदस्य;
(ड)	उप सचिव(निःशस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामले) विदेश मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ढ)	विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	पदेन सदस्य सचिव;

(2) सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक अधिसूचना द्वारा की जाएगी ।

9. पदावधि - किसी सदस्य की पदावधि तब समाप्त हो जाएगी, जैसे ही उसके, ऐसे नामनिर्दिष्ट किए जाने के कारण पद धारण करना समाप्त हो जाता है ।

10. सलाहकार समिति की बैठकें - अध्यक्ष जब भी आवश्यक समझे, सलाहकार समिति की बैठक की जाएगी ।

11. बैठकों की अध्यक्षता - अध्यक्ष, सलाहकार समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

12. सर्वसम्मति से विनिश्चय सलाहकार समिति की बैठक में सभी प्रश्न, उपस्थित सदस्यों की आम सहमति द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे ।

13. सामूहिक संहार के आयुधों और उनकी परिदान प्रणाली पर सलाहकार समिति के अधिकार और कर्तव्य :- (1) सामूहिक संहार के आयुधों और उनकी परिदान प्रणाली पर सलाहकार समिति के अधिकार और कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :-

(क) सामूहिक संहार के आयुधों और उनकी परिदान प्रणाली के संबंध में राष्ट्रीय नीति - निर्माण और क्रियान्वयन के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना;

(ख) ऐसे उपायों की सिफारिश करना जो सामूहिक संहार के आयुधों और उनकी परिदान प्रणाली से संबंधित उपबंधों के समुचित क्रियान्वयन और विनियमन के लिए किये जाने चाहिए;

(ग) अन्य सलाहकार समितियों के क्रियाकलाप में समन्वय करना;

(घ) इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे मामले के संबंध में, जो आवश्यक या समीचीन हों, किसी अन्य सलाहकार समिति को ऐसे निदेश देना;

(ङ) सामूहिक संहार के आयुधों और उनके परिदान के साधनों से संबंधित किसी मामले के संबंध में अन्य सलाहकार समितियों से सहायता लेना ।

14. नाभिकीय और नाभिकीय संबंधित मदों पर सलाहकार समिति की शक्तियां और कर्तव्य - नाभिकीय और नाभिकीय संबंधित मदों पर सलाहकार समिति की शक्तियां और कर्तव्य निम्नलिखित होंगेः

(क) अधिनियम के उपबंधों सहित परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के उपबंधों के सुमेलन के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में केंद्रीय सरकार को सिफारिश करना;

(ख) नाभिकीय आयुधों अथवा अन्य नाभिकीय विस्फोटक युक्तियों और उनके परिदान के साधनों और कोई अन्य संबंधित क्रियाकलाप के संबंध में अपराधों के अभियोजन के संबंध में केंद्रीय सरकार को सिफारिशें करना;

(ग) सामूहिक संहार के आयुधों और उनके परिदान के साधनों पर सलाहकार समिति द्वारा अनुरोध किए जाने पर नाभिकीय आयुधों अथवा अन्य नाभिकीय विस्फोटक युक्तियों और उनके परिदान के साधनों अथवा किसी अन्य संबंधित क्रियाकलाप से संबंधित ऐसे मामलों पर सिफारिशें करना;

(घ) सामूहिक संहार के आयुधों और उनके परिदान के साधनों पर सलाहकार समिति द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन करना और उनका क्रियान्वयन करना ।

15. रासायनिक आयुधों और संबंधित मदों पर सलाहकार समिति की शक्तियां और कर्तव्य :- रासायनिक आयुधों और संबंधित मदों पर सलाहकार समिति की शक्तियां और कर्तव्य निम्नलिखित होंगेः-

(क) अधिनियम के उपबंधों सहित रासायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम 2000 के उपबंधों के सुमेलन के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में केंद्रीय सरकार को सिफारिशें करना;

(ख) रासायनिक आयुधों और उनके परिदान के साधनों या कोई अन्य संबंधित क्रियाकलाप के संबंध में अपराधों के अभियोजन से संबंधित केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें करना;

(ग) सामूहिक संहार के आयुधों और उनके परिदान के साधनों पर सलाहकार समिति द्वारा अनुरोध किए जाने पर रासायनिक आयुधों और उनके परिदान के साधनों अथवा किसी अन्य संबंधित क्रियाकलाप से संबंधित ऐसे मामलों पर सिफारिशें करना;

(घ) सामूहिक संहार के आयुधों और उनके परिदान के साधनों पर सलाहकार समिति द्वारा जारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करना और क्रियान्वयन करना ।

16. जैविक आयुधों और संबंधित मदों पर सलाहकार समिति की शक्तियां और कर्तव्य - जैविक आयुधों और संबंधित मदों पर सलाहकार समिति की शक्तियां और कर्तव्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) अधिनियम के उपबंधों सहित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के सुमेलन के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में केंद्रीय सरकार को सिफारिशें करना;

(ख) जैविक आयुधों और उनके परिदान के साधनों अथवा अन्य संबंधित गतिविधि से संबंधित अपराधों के अभियोजन के संबंध में केंद्रीय सरकार को सिफारिशें करना;

(ग) सामूहिक संहार के आयुधों और उनके परिदान के साधनों पर सलाहकार समिति द्वारा अनुरोध किए जाने पर जैविक आयुधों और उनके परिदान के साधनों अथवा अन्य संबंधित क्रियाकलाप से संबंधित ऐसे मामलों पर सिफारिशें करना;

(घ) सामूहिक संहार के आयुधों और उनके परिदान के साधनों पर सलाहकार समिति द्वारा जारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करना और उनका क्रियान्वयन करना;

17. दोहरे उपयोग की मदों के निर्यात नियंत्रण पर सलाहकार समिति की शक्तियां और कर्तव्य- दोहरे उपयोग की निर्यात मदों के निर्यात नियंत्रण पर सलाहकार समिति की शक्तियां और कर्तव्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) अधिनियम के उपबंधों सहित विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के उपबंधों के सुमेलन के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में केंद्रीय सरकार को सिफारिश करना;

(ख) दोहरे उपयोग की मदों के निर्यात नियंत्रण अथवा कोई अन्य संबंधित कार्यकलाप से संबंधित अपराधों के अभियोजन के संबंध में केंद्रीय सरकार को सिफारिशें करना;

(ग) सामूहिक संहार के आयुधों और उनके परिदान के साधनों पर सलाहकार समिति द्वारा अनुरोध किए जाने पर दोहरे उपयोग की मदों के निर्यात नियंत्रणों अथवा किसी अन्य संबंधित क्रियाकलाप से संबंधित ऐसे मामलों पर सिफारिशें करना;

(घ) सामूहिक संहार के आयुधों और उनके परिदान के साधनों पर सलाहकार समिति द्वारा जारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करना और उनका क्रियान्वयन करना ।

[फा. सं. ए.ई-1/1060/6/2006]

हामिद अली राव, संयुक्त सचिव (निरस्त्रीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2006

G.S.R. 715(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 26 of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005 (21 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems, Appointment of Advisory Committees and their Powers and Duties Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005;

(b) "Advisory Committee" means the Advisory Committee appointed under rule 3;

(c) "member" means a member of the Advisory Committee and includes its Chairperson;

(d) "section" means a section of the Act;

(e) "notification means a notification published in the Official Gazette;

(f) the words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Appointment of Advisory Committees.- The Central Government shall appoint the following Advisory Committees, namely:-

(i) the Advisory Committee on Weapons of Mass Destruction and their Delivery System;
(ii) the Advisory Committee on Nuclear and Nuclear Related Items;
(iii) the Advisory Committee on Chemical Weapons and Related Items;
(iv) the Advisory Committee on Biological Weapons and Related Items;
(v) the Advisory Committee on Export Control of Dual-Use Items.

4. Composition of Advisory Committee on Weapons of Mass Destruction and their Delivery System.- (1) The Advisory Committee on Weapons of Mass Destruction and their Delivery System shall consist the following members, namely:-

(a)	the Additional Secretary in the Ministry of External Affairs -	*ex officio* Chairperson;
(b)	the Joint Secretary (Disarmament and International Security Affairs) in the Ministry of External Affairs -	*ex officio* member;
(c)	the Scientific Secretary, Department of Space -	*ex officio* member;
(d)	the Joint Secretary, National Authority, Chemical Weapons Convention -	*ex officio* member;
(e)	the Chief Controller Research and Development (Services Interaction) and Distinguished Scientist, Defence Research Development Organisation, Ministry of Defence -	*ex officio* member;
(f)	the Joint Secretary (Customs), Department of Revenue, Ministry of Finance -	*ex officio* member;
(g)	the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Ministry of Finance -	*ex officio* member;
(h)	the Joint Secretary, Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers-	*ex officio* member;
(i)	the Joint Secretary (Disaster Management-I) in the Ministry of Home Affairs -	*ex officio* member;
(j)	the National Security Council Secretariat -	*ex officio* member;
(k)	the Director (Hazardous Substances Management Division) in the Ministry of Environment and Forests -	*ex-officio* member;
(l)	the Scientific Officer, Department of Atomic Energy -	*ex officio* member;
(m)	the Additional Director General of Foreign Trade, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry -	*ex officio* member;
(n)	the Director, Department of Bio-technology, Ministry of Science and Technology -	*ex officio* member;
(o)	the Director (Nuclear Biological Chemical), Head Quarters, Integrated Defence Staff in the Ministry of Defence -	*ex officio* member;
(p)	the Director (Disarmament and International Security Affairs) in the Ministry of External Affairs -	*ex officio* Member Secretary;

(2) The Chairperson and members of the Advisory Committee shall be appointed by a notification.

5. Composition of the Advisory Committee on Nuclear and Nuclear Related Items.- (1) The Advisory Committee on Nuclear and Nuclear Related Items shall consist of the following members, namely:-

(a)	the Director, Strategic Planning Group, Department of Atomic Energy -	*ex officio* Chairperson;
(b)	the Assistant Scientific Secretary, Department of Space-	*ex officio* member;
(c)	the Joint Director, Directorate of Revenue Intelligence,	

	Ministry of Finance -	*ex officio* member;
(d)	The Senior Technical Officer (International Customs Division) Department of Revenue, Ministry of Finance-	*ex officio* member;
(e)	the Joint Director General of Foreign Trade, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry -	*ex officio* member;
(f)	the Director (International Co-operation), Defence Research Development Organisation, Ministry of Defence -	*ex officio* member;
(g)	the Director (National Disaster Management-II) in the Ministry of Home Affairs -	*ex officio* member;
(h)	the Director (Disarmament and International Security Affairs) in the Ministry of External Affairs -	*ex officio* member;
(i)	the Director, Army Head Quarter, Ministry of Defence-	*ex officio* member;
(j)	the Scientific Officer, Department of Atomic Energy -	*ex officio* Member Secretary;

(2) The Chairperson and members of the Advisory Committee shall be appointed by a notification.

6. Composition of Advisory Committee on Chemical Weapons and Related Items.- (1) The Advisory Committee on Chemical Weapons and Related Items shall consist of the following members, namely:-

(a)	the Joint Secretary, Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers-	*ex officio* Chairperson;
(b)	the Joint Director, National Authority, Chemical Weapons Convention -	*ex officio* member;
(c)	the Scientific/Engineer, Department of Space -	*ex officio* member;
(d)	the Director, Central Revenue Control Laboratory in the Department of Revenue, Ministry of Finance -	*ex officio* member;
(e)	the Senior Technical Officer (International Customs Division), Department of Revenue, Ministry of Finance -	*ex officio* member;
(f)	the Consultant in the Ministry of Environment and Forests -	*ex officio* member;
(g)	the Director (National Disaster Management-II) in the Ministry of Home Affairs -	*ex officio* member;
(h)	the Joint Director General of Foreign Trade, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry -	*ex officio* member;
(i)	the Scientist 'G', Defence Research Development Organisation, Ministry of Defence -	*ex officio* member;
(j)	the Director, Army Head Quarters, Ministry of Defence -	*ex officio* member;
(k)	Joint Director, Directorate of Revenue Intelligence, Ministry of Finance -	*ex officio* member;
(l)	the Deputy Secretary (Disarmament and International Security Affairs) in the Ministry of External Affairs -	*ex officio* member;
(m)	the Director (Chemical Weapons Convention)	

Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers - *ex officio* Member Secretary:

(2) The Chairperson and members of the Advisory Committee shall be appointed by a notification.

7. Composition of the Advisory Committee on Biological Weapons and Related Items.- (1) The Advisory Committee on Biological Weapons and Related Items shall consist of the following members, namely;-

(a)	the Director, Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology -	*ex officio* Chairperson;
(b)	the Director (Hazardous Substances Management Division) in the Ministry of Environment and Forests -	*ex officio* member;
(c)	the Director, Central Revenue Control Laboratory in the Department of Revenue, Ministry of Finance -	*ex officio* member;
(d)	the Senior Technical Officer (International Customs Division), Department of Revenue, Ministry of Finance -	*ex officio* member;
(e)	the Director, Department of Chemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers -	*ex officio* member;
(f)	the Director (National Disaster Management-II) in the Ministry of Home Affairs -	*ex officio* member;
(g)	the Joint Director General of Foreign Trade, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry -	*ex officio* member;
(h)	the Scientist 'G', Defence Research Development Organisation, Ministry of Defence -	*ex officio* member;
(i)	the Director, Army Head Quarters, Ministry of Defence -	*ex officio* member;
(j)	the Joint Director, Directorate of Revenue Intelligence, Ministry of Finance -	*ex officio* member;
(k)	the Deputy Secretary (Disarmament and International Security Affairs) in the Ministry of External Affairs -	*ex officio* Member Secretary;

(2) The Chairperson and members of the Advisory Committee shall be appointed by a notification.

8. Composition of the Advisory Committee on Export Control of Dual-Use Items.- (1) The Advisory Committee on Export Control of Dual-Use Items shall consist of the following members, namely:-

(a)	the Additional Director General of Foreign Trade, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry -	*ex officio* Chairperson;
(b)	the Joint Director, Directorate of Revenue Intelligence, Ministry of Finance -	*ex officio* member;
(c)	the Senior Technical Officer (International Customs Division), Department of Revenue, Ministry of Finance -	*ex officio* member;
(d)	the Director, Department of Biotechnology, Ministry of	*ex officio* member;

	Science and technology -	
(e)	the Director, Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers -	*ex officio* member;
(f)	the Joint Director, National Authority, Chemical Weapons Convention -	*ex officio* member;
(g)	the Programme Director, Department of Space.-	*ex officio* member;
(h)	the Director (National Disaster Management-II) in the Ministry of Home Affairs -	*ex officio* member;
(i)	the Scientific Officer, Department of Atomic Energy -	*ex officio* member;
(j)	the Director (International Co-operation), Defence Research Development Organisation, Ministry of Defence -	*ex officio* member;
(k)	the Director (Bharat Earth Movers Limited and Export Promotion), Department of Defence Production in the Ministry of Defence -	*ex officio* member;
(l)	the Joint Director, National Security Council Secretariat-	*ex officio* member;
(m)	the Deputy Secretary (Disarmament and International Security Affairs) in the Ministry of External Affairs -	*ex officio* member;
(n)	the Joint Director General of Foreign Trade, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry -	*ex officio* Member Secretary;

(2) The Chairperson and members of the Advisory Committee shall be appointed by a notification.

9. Term of office.- The term of office of a member shall come to an end as soon as he ceases to hold the office by virtue of which he was so nominated.

10. Meetings of the Advisory Committee.- The Advisory Committee shall meet as and when the Chairperson deems necessary.

11. Presiding at meetings.- The Chairperson shall preside at the meetings of the Advisory Committee.

12. Decision by Consensus.- All questions at the meeting of the Advisory Committee shall be decided by a general consensus of the members present.

13. Powers and duties of the Advisory Committee on Weapons of Mass Destruction and their Delivery System.- (1) The powers and duties of the Advisory Committee on Weapons of Mass Destruction and their Delivery System shall be -

(a) to advise the Central Government regarding the formulation and implementation of a national policy in relation to matters relating to the Weapons of Mass Destruction and their means of Delivery;

(b) to recommend measures which should be taken for proper implementation and regulation of the provisions relating to the Weapons of Mass Destruction and their means of Delivery;

(c) to coordinate the activities of other Advisory Committees;

(d) to give such directions to any other Advisory Committee, as may be necessary or expedient, relating to any matter under the Act;

(e) to seek assistance from the other Advisory Committees with regard to any matter relating to the Weapons of Mass Destruction and their means of Delivery.

14. Powers and duties of the Advisory Committee on Nuclear and Nuclear Related Items.- The powers and duties of the Advisory Committee on Nuclear and Nuclear Related Items shall be -

(a) to make recommendation to the Central Government regarding the steps to be taken to harmonise the provisions of the Atomic Energy Act, 1962 with that of the provisions of the Act;

(b) to make recommendations to the Central Government regarding prosecution of offences relating to nuclear weapons or other nuclear explosive devices and their means of delivery or any other.related activity;

(c) to make recommendations on such matters relating to nuclear weapons or other nuclear explosive devices and their means of delivery or any other related activity as may be requested by the Advisory Committee on Weapons of Mass Destruction and their means of Delivery;

(d) to comply with and carry out such directions as may be issued by the Advisory Committee on Weapons of Mass Destruction and their means of Delivery.

15. Powers and duties of the Advisory Committee on Chemical Weapons and Related Items.- The powers and duties of the Advisory Committee on Chemical Weapons and Related Items shall be -

(a) to make recommendation to the Central Government regarding the steps to be taken to harmonise the provisions of the Chemical Weapons Convention Act, 2000 with that of the provisions of the Act;

(b) to make recommendations to the Central Government regarding prosecution of offences relating to chemical weapons and their means of delivery or any other related activity;

(c) to make recommendations on such matters relating to chemical weapons and their means of delivery or any other related activity as may be requested by the Advisory Committee on Weapons of Mass Destruction and their means of Delivery;

(d) to comply with and carry out such directions as may be issued by the Advisory Committee on Weapons of Mass Destruction and their means of Delivery.

16. Powers and duties of the Advisory Committee on Biological Weapons and Related Items.- The powers and duties of the Advisory Committee on Biological Weapons and Related Items shall be -

(a) to make recommendation to the Central Government regarding the steps to be taken to harmonise the provisions of the Environment Protection Act, 1986 with that of the provisions of the Act;

(b) to make recommendations to the Central Government regarding prosecution of offences relating to biological weapons and their means of delivery or any other related activity;

(c) to make recommendations on such matters relating to biological weapons and their means of delivery or any other related activity as may be requested by the Advisory Committee on Weapons of Mass Destruction and their means of Delivery;

(d) to comply with and carry out such directions as may be issued by the Advisory Committee on Weapons of Mass Destruction and their means of Delivery.

17. Powers and duties of the Advisory Committee on Export Control of Dual-use Items.- The powers and duties of the Advisory Committee on Export Control of Dual-use Items shall be -

(a) to make recommendation to the Central Government regarding the steps to be taken to harmonise the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation Act, 1992 with that of the provisions of the Act;

(b) to make recommendations to the Central Government regarding prosecution of offences relating to export controls of dual-use items or any other related activity;

(c) to make recommendations on such matters relating to export controls of dual-use items or any other related activity as may be requested by the Advisory Committee on Weapons of Mass Destruction and their means of Delivery;

(d) to comply with and carry out such directions as may be issued by the Advisory Committee on Weapons of Mass Destruction and their means of Delivery.

[F. No. AE-1/1060/6/2006]

HAMID ALI RAO, Jt. Secy. (Disarmament and International Security Affairs)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.